

तारीख
हुक्म

21/3/2026

वकील आर्ची हाफिर / बहस प्रार्थना पत्र हेतु
निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस
शुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थने निवेदन
किया कि प्रकरण मे कब्जे सम्बन्धे लाह नही
पाहिसे। जो स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना
पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर घट निर्णय
दिया जाता है कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजियात
मे किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के
कब्जे काश्त मे दखलणदाणी किये पक्षर गली
से जावे तहरीर जारी ही। पत्रावली केसल शुनार
लेकर तम्बर से कम ही। आदेश सुनाया गया।

[Faint red text, likely a stamp or official note]

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपारमन जिला चित्तौडगढ़

[Faint red text, likely a stamp or official note]

[Faint red text, likely a stamp or official note]

[Faint red text, likely a stamp or official note]